(५)

पत्र संख्या:अपर आयुक्त(पुलिस)/ आरक्षी श्री अमनीश कुमार,पी0एन0ओ0-112296429 /2022-23// 5004 //राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(पुलिस- कैम्प)

दिनांक:: लखनऊ:: 30 नवम्बर,,2022

-::आदेश::-

आरक्षी श्री अमनीश कुमार, पी0एन0ओ0-112296429, पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार पता- ग्राम- ताजपुर पोस्ट- खतौली थाना- खतौली, जनपद -मुजफ्फरनगर मो0 नं0- 8218319070, 6395727846 को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या डीजी-चार-स्था-115/2021/150 दिनॉक 25-03-2021 द्वारा गहन जनपद गाजियाबाद से (02) वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में आरक्षी श्री अमनीश कुमार द्वारा दिनॉक 12-08-2021 को राज्य कर मुख्यालय उ0प्र0, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया गया था, जिन्हें राज्य कर मुख्यालय के आदेश संख्या- 291 दिनॉक 17-08-2021 द्वारा अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर, गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा कार्यालय में सम्बद्ध किया गया था।

अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) राज्य कर, गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा के पत्र संख्या-478 दिनांक 11-11-2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि आरक्षी श्री अमनीश कुमार, पी0एन0ओ0-112296429 जो मई, 2022 से दिनांक 31-10-2022 तक बिना पूर्व सूचना/ अवकाश के अपने तैनाती कार्यालय से अनुपस्थित रहने तत्पश्चात दिनांक 01-11-2022 को कार्यालय में उपस्थित होकर चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त पुन: कार्यालय से दिनांक 02-11-2022 से बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे हैं।

आरक्षी श्री अमनीश कुमार, पी0एन0ओ0-112296429 लगभग 05 माह से बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित चल रहें हैं तथा उसके पश्चात दिनांक 01-11-2022 को कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण कर पुन: दिनांक 02-11-2022 से बिना सूचना/ अवकाश के अनुपस्थित चल रहे है। जबकि नियमानुसार अपने अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में कार्यालय / जोन को तत्काल अपनी बीमारी से सम्बन्धित सूचना देनी चाहिए थी, परन्तु आरक्षी द्वारा अपनी अनुपस्थिति की सूचना अपने तैनाती कार्यालय / जोन में नहीं दी गयी। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री अमनीश कुमार जानबूझ कर कार्यालय से अनुपस्थित हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि पुलिस कर्मी 02 वर्ष के अल्प समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर राज्य कर विभाग में तैनात किये जाते है। ऐसे में कई माह बिना सूचना के ड्यूटी से गायब रहने से राजकीय कार्य प्रभावित होता है। अनुपस्थित अवधि में आरक्षी किन गतिविधियों में लिप्त है। इसकी कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना युक्ति-युक्त कारण के कार्यस्थल पर उपस्थित न होना कर्तव्य की उपेक्षा है तथा कर्मचारी आचरण नियमावली का घोर उल्लंघन है एवं अनुशासनहीनता का द्योतक भी है। उचित होगा कि आरक्षी के बिना युक्ति-युक्त कारण के अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पुलिस आयुक्त जनपद गाजियाबाद के स्तर से मेडिकल बोर्ड गठित कर इनकी बीमारी की जांच कराने तत्पश्चात इनकी अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में नियमानुसार अनुशासनिक/ विभागीय कार्यवाही पुलिस आयुक्त जनपद गाजियाबाद के स्तर से ही कराने तथा श्री कुमार द्वारा अपनी बीमारी का सुचारू एवं समुचित इलाज मूल विभाग में रहकर कराये जाने के लिए इनकी राज्य कर विभाग से 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि को तत्काल प्रभाव से मध्य में समाप्त / निरस्त करते हुए इनको मूल विभाग प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कार्यमुक्त / वापस किया जाता है।

श्री ...
D.G.(Est.)
30/11/022
3565

यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)
आई0पी0एस0
अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी को आयुक्त राज्य कर महोदया के अवलोकनार्थ।

2- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आरक्षी श्री अमनीश कुमार , पी0एन0ओ0-112296429 की राज्य कर विभाग में की गयी प्रतिनियुक्ति तत्काल निरस्त करने का कष्ट करें।

3- पुलिस उपमहानिरीक्षक(कार्मिक) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को कृपया उनके कार्यालय के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था-115/2021/150 दिनॉक 25-03-2021 के सन्दर्भ में ।

4- पुलिस उपाधीक्षक स्थापना नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक,कार्मिक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5- प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक , उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6- पुलिस आयुक्त जनपद गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आरक्षी श्री अमनीश कुमार, पी0एन0ओ0-112296429 के अनुपस्थिति /बीमारी के सम्बन्ध में अपने स्तर से मेडिकल बोर्ड गठित कर बीमारी की जांच कराने के उपरान्त आरक्षी की राज्य कर विभाग मे अनुपस्थिति के सम्बन्ध में नियमानुसार अनुशासनिक/ विभागीय कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक)

7- अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0 अनु0शा0) राज्य कर गौतमबुद्धनगर जोन नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि आरक्षी श्री अमनीश कुमार, पी0एन0ओ0-112296429 पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार पता- ग्राम- ताजपुर पोस्ट- खतौली थाना- खतौली, जनपद -मुज़फ्फरनगर मो0 नं0- 8218319070, 6395727846 को **दि0- 30-11-2022** के पूर्वान्ह/ अपरान्ह से कार्यमुक्त करते हुए उनकी सूचना दूरभाष / व्हाट्सएप/ रजिस्टर्ड डाक से पुलिस कर्मी को तामील कराने के साथ ही उस आदेश की एक प्रति विशेष वाहक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद- मुजफ्फर नगर कार्यालय के माध्यम से पुलिस कर्मी को तामील कराते हुए तामीली की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

8- उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ की पुलिस कर्मी की अनुपस्थिति से सम्बन्धित समस्त चिकित्सा प्रपत्र एवं अन्य सेवाभिलेख अद्यतन कराकर तत्काल पुलिस आयुक्त जनपद गाजियाबाद को प्रेषित कराते हुए कृत कार्यवाही से सर्वसम्बन्धित सहित अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

9- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।

30/11/22

अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।